निबंधन संख्या - 927/08-09 TeleFAX - 0651-2251008, 2250642

विद्या विकास समिति, झारखण्ड

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध)

शुक्ला कॉलोनी, हिनू, पत्रा०-डोरण्डा, राँची - 834002

E-mail - vidyavikas1@dataone.in, info@vidyavikassamiti.org, vvs.jharkhand@yahoo.com Web - http://vidyavikassamiti.org

पत्रांक : VVS/ 3032/1576 दिनांक : 04/08/

प्रतिष्ठा में,

सचिव/प्रधानाचार्य,

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, **मालवीय मार्ग, हजारीबाग**

विषय :- विद्यालय संबद्धता पत्र।

महाशय,

आपका पत्र पत्रांक 14/15-16 दिनांक 30.06.2015 प्राप्त हुआ। पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि आपका विद्यालय संबद्ध है। विद्यालय का उद्‌घाटन तिथि 12.06.2011 है। संबद्धता निम्नलिखित शर्तों के आधार दिया गया है।

1. विद्यालय का नाम निम्नलिखित होगा - जिसका उल्लेख पत्राचार एवं पट्ट आदि में होगा।
   सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, मालवीय मार्ग, हजारीबाग
   संबद्ध - **विद्या विकास समिति, झारखण्ड, शुक्ला कॉलोनी, हिनू, राँची**
   निबंधन संख्या-927/08-09, प्रतीक चिह्न - →
2. प्रदेश द्वारा प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी।
3. आचार्य भी स्नातक प्रशिक्षित हो यही अपेक्षा है।
4. आचार्य नियुक्ति **''आचार्य नियमावली''** के आधार पर होगी।
5. आचार्य एवं कर्मचारी को स्थानीय स्तर पर स्वीकृत सुविधाएँ ही देय होगी।
6. स्थानीय समिति का गठन प्रांत द्वारा प्रतिनियुक्त किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही होगा।
7. विद्यालय व्यवस्था समिति में प्रदेश द्वारा चयनित न्यूनतम दो सदस्य रहेंगे एवं व्यवस्था समिति प्रांतीय समिति के वैधानिक मान्यता के अनुसार कार्य करेगी।
8. विद्यालय व्यवस्था समिति से अपेक्षा है कि विद्यालय की मान्यता **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली या झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची (झारखण्ड)** से हो।
9. समय-समय पर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य/महिला आचार्य एवं भैया/बहनों को भाग लेना अपेक्षित है।
10. परीक्षा संचालन एवं पत्रिका का प्रकाशन प्रदेश के माध्यम से होगा।
11. प्रधानाचार्य, आचार्य/महिला आचार्य एवं भैया/बहनों का वेश तथा प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम प्रदेश द्वारा निर्धारित ही लागू होगा।
12. प्रति शिशु प्रति वर्ष मासिक शुल्क के बराबर प्रांतीय निधि प्रदेश को देय होगा।
13. प्रदेश के निरीक्षक के निरीक्षण वृत्त के आधार पर एवं प्रांतीय निर्देशानुसार विद्यालय व्यवस्था में संशोधन एवं परिवर्तन आवश्यक होगा।
14. विद्यालय व्यवस्था में कोई नवीन योजना क्रियान्वयन करने के पूर्व प्रदेश से परामर्श लेना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों में प्रदेश द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं परिमार्जन संभव है। जिसकी सूचना आपको दी जाएगी।

भवदीय

04.8.2015

(मुकेश नंदन)

प्रदेश सचिव

विद्या विकास समिति, झारखण्ड

№ 005108

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 927.

वर्ष 2008- 2009.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ....

.... "विद्या विकास समिति झारखण्ड" ....

....

....

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख ०९ मास जनवरी वर्ष दो हजार नौ को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

बिहार में निबन्धित संस्था का नाम = विद्या विकास समिति

बिहार का निबंधन संख्या = 1082/1994-95

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गोवर्नमेन्ट प्रेस, राँची ।